न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 86/2020

कम्प्यूटरीकृत संख्या 72/2020

सरकार बनाम दिवाकर आदि

सी0एन0आर0नं0 यू0पी0बी0पी 010014852020

प्रारम्भिक आदेश

अभियुक्तगण **दिवाकर, रवि तथा रूपेश** उपस्थित आये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने की प्रस्थापना किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **दिवाकर, रवि तथा रूपेश** के विरूद्ध **323, 504 भारतीय दण्ड संहिता** तथा **धारा 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** अधीन प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होते हैं। अतः उन्हे तद्नुसार आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आरोप पृथक प्रपत्र पर तद्नुसार विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 06.01.2022 को प्रस्तुत हो।

अभियोजन साक्षीगण उक्त नियत तिथि के लिए आहूत किये जाये।

अभियुक्तगण भी उक्त नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांक 03.12.2021

(रजनी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 86/2020

कम्प्यूटरीकृत संख्या 72/2020

सरकार बनाम दिवाकर आदि

सी0एन0आर0नं0 यू0पी0बी0पी 010014852020

मैं **रजनी सिंह** विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर आप अभियुक्तगण **दिवाकर, रवि तथा रूपेश** को निम्न प्रकार से आरोपित करती हूँः–

प्रथमः– यह कि दिनांक 17.07.2020 को समय करीब 04:00 बजे शाम वहद स्थान ग्राम मंगरा कोहल थाना ललिया जनपद बलरामपुर में आप लोग वादी मुकदमा मंशाराम आर्या व उसकी पत्नी गायत्री देवी तथा भाई रामायण को लाठी–डण्डा लात–मूका से मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किये। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो **धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आप लोग वादी मुकदमा मंशाराम आर्या व उसकी पत्नी तथा भाई को मां–बहन की गन्दी गन्दी गालियां देकर अपमानित करते हुए लोक–शाति भंग किये। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जो **धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आप वादी मुकदमा मंशाराम आर्या व उसकी पत्नी तथा भाई को यह जानते हुए कि वे अनुसूचित जाति का सदस्य हैं, उन्हे जाति–सूचक गाली देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो **धारा 3(1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आदेशित करती हूँ कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपों के अधीन आप लोगों का विचारण किया जायेगा।

दिनांक 03.12.2021

(रजनी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये और समझाये गये, जिससे उन्होने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक 03.12.2021

(रजनी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।